

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29-5-67.

क्रमांक एफ 1/207/86/ए-1/38, — मओप्रO तदर्थ नियुक्तियों का नियमितकरण नियम 1985 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रO एफ. ए-6-30-86-एमओ॥१॥ द्वारा मओप्रO राजपत्र ॥असाधारण॥ में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5-6-86 में प्रयुक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तदर्थ सम-से-कार्यरत सहायक प्राध्यापकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु नियम 9॥2॥ के अंतर्गत निम्नलिखित को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक संलग्न परिशिष्ट में अंकित विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मओप्रO शिक्षणिक सेवा ॥महाविद्यालयीन शाखा॥ में रूO 700-40-1100-50-1300 असेसमेन्ट-50-1600 ॥यू. जी. सी. वेतनमान॥ के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। नियुक्त उम्मीदवार का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

2/- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यपन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में दी जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यपन प्रतिवेदन समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3/- उपरोक्त नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की वरिष्ठता स्थायी होने पर में कार्यरत तदर्थ सहायक प्राध्यापकों के नियमितकरण में परत्र व्यक्तियों के नीचे मान्य की जावेगी।

4/- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

5/- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है।

6/- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 8 वर्षों के अंदर स्नातकोत्तर उपाधि ॥मास्टर्स डिग्री॥ के बाद की मान्यता

प्राप्त उपाधि ॥ यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है ॥ प्राप्त करनी होगी अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7/- उपर्युक्त नियुक्त उम्मीदवार संबंधित प्राचार्य को अपने मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा । प्रमाण पत्र सत्यापन पाये जाने पर ही यह नियुक्ति प्रभावशील होगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

॥ जी०पी० शिखरी ॥
उप सचिव

म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

म०प्र० स्फ 1/207/86/ए-1/38,

भोपाल, दिनांक 29-6-87.

प्रतिनिधयः-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शसस्त्रीय महाविद्यालय, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अंग्रेजित । प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अर्हता संबंधी प्रस्तुत जानकारी संग्रह की जा रही है मूल प्रमाण पत्रों से जानकारी सत्यापित करने के पश्चात् कार्य-भार ग्रहण कराएँ एवं विभाग को तदनुसार सूचित करें ।
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, म०प्र० भोपाल ।
- 3- अतिरिक्त संचालक, 1, 2, 3, महाविद्यालयीन शिक्षा, म०प्र० भोपाल ।
- 4- समस्त अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० ।
- 5- विशेष सहायक, म०प्र० राज्य मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल ।
- 6- संबंधित अभ्यर्थी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अंग्रेजित प्रथम वेतन प्राप्त करने पूर्व स्वोन्मय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 7- सचिव, म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
- 8- सचिव, म०प्र० लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
- 9- अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-2 एवं 3/संबंधित सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-1

॥ जी०पी० शिखरी ॥
उप सचिव

म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

प्राणीशास्त्र-ऋगशाः

1. 2. 3. 4. 5.

8.	श्री सुखदेव डोंगरे पुत्र श्री शिवजी डोंगरे ग्राम वडोरा जिला- बैतूल (म.प्र.)	2.2.60	शासक महाविद्यालय 540 1100	मनावर 675 1200
9.	श्री संजयराव चन्देकर पुत्र श्री हनुमन्तजी चन्देकर ग्राम-देवगांव, पो. राधा खटेडा मंडल-सुतगांव, जिला- बैतूल (म.प्र.)	23.6.61	शासक स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुतगांव 540 1100	मनावर 675 1200
10.	श्री हेमकल्याण सिंह गजेन्द्र ग्राम-डेकारी, पो. गिरौड़ जिला- रायपुर (म.प्र.)	7.10.58	शासक महाविद्यालय 453 600	कि.न्दुल 670 1200
11.	श्री. मती किरणलता दामले द्वारा डा. एस.के. दामले जिला- रायपुर (म.प्र.)	31.7.62	शासक स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासपुर 238 450	मनावर 559 1000

1/ नियुक्त प्रत्याशियों को इस वर्ष किसी भी अवकाश की प्राप्ति नहीं होगी तथा स्थान परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2/ नियुक्त प्रत्याशियों द्वारा अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में यदि दिनांक 15-7-87 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जावेगी तथा उनके स्थान पर दूसरे प्रत्याशी को नियुक्त किया जा सकेगा।

प्री.एस. महासू
उप. अधीक्षक

शासक, महाविद्यालय शिक्षा विभाग.

रा.सं.चं.द.नी/30687/8

13. कु०आलिदा सुमान द्वारा टेगोर & कंपनी सुभाष बाजार द्वारा प्राध्यापक के पद के विस्तार आगरा । शा०के०आर०जी०ग्वालियर ।
14. श्रीमती रीनाक्षी चित्रा द्वारा-श्रीमती शारदा शर्मा 34 वां पुस्तक सा. नि. वि. वाराणसी उत्तरप्रदेश । शा०कन्या महा०सीधी ।
15. प्रकाश चंद्र चौधरी द्वारा आ०महा० भटनांव महा०ग्रा० अंग्रेजी भटनांव जिला रायपुर । शा०महा०भटनांव रायपुर ।
16. कु० नीलू सक्सेना द्वारा 394 सुरेश नगर थाठीपुर ग्वालियर । शा०स्नातकोत्तर महा०ग्वालियर ।
17. कु० प्रीति सिन्हा द्वारा ए/15 महेश गार्ड लाईन्स इंदौर । शा०स्नातकोत्तर महा० धार ।
19. श्री राजीव सभरवाल द्वारा सविता सभरवाल आर्टिक्चर विभाग एम०ए०सी०टी भोपाल । शा०महा०शाहपुरा मण्डला ।
20. श्री उषेन्द्र जी पाण्डेय द्वारा गाँव-बो० डिहरी, ब्याया-चौसा जिला बक्सर बिहार । शा०महा० प्रतापपुर तरगुजा ।
21. श्रीमती अनामिका द्वारा आ०महा० पोरसा भुरैना । शा०महा०पोरसा भुरैना ।
22. सुश्री नीलिमा झा द्वारा प्रोफेसर कल्याणकर झा विश्वविद्यालय प्राध्यापक स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर । शा०महा० खरसिया रायगढ़ ।
23. आनंद शंकर बहादुर द्वारा प्रो०धर्मराज बहादुर अध्यक्ष, हिन्दी विभाग देवधर महा देवधर । शा०महा०सीतापुर तरगुजा ।

101. कु० राजश्री आई
आपाती महाप्र०
जी 2/3 विजयाराजेनगर
विश्वविद्यालय परिवार उज्जैन ।
102. श्रीमती लता मिश्रा
द्वारा श्री छोटेलाल अग्रवाल
37 ए ए/16 मधुनगर आगरा ।
103. कु० राधा धमट
बैन पानी रोड तिली सागर ।
104. श्री वसंत कुमार रंजन
पैठिया गाछी वार्ड-3 रामदयाल
शाह भवन समस्तीपुर पो० जिला
समस्तीपुर बिहार ।
- (105) श्री सुनिल कुमार झा
540 बी हाथीवाला बैंक इंदौर ।
106. कु० बेल कक्कड़
आपाती महाप्र०
5/25 सदरबाजार सागर ।
107. कु० सुपाल लक्ष्मिना
मने० । इंदिरा होस्टल ए०पी०एस०यू०
रीवा ।
108. श्री आशीष कुमार सिंह
अनुवादक हिन्दी अनुभाग
अमरा संख्या-556 की तकनीकी
विकास महाविद्यालय उद्योग भवन
दिल्ली ।
- शा०महा०आती टंकरलाम
शा०स्नातकोत्तर महा०टी
शा०महा०राहतगढ़ सागर
शा०महा० कोणडागांव बस्तर
शा०महा० किरन्दूल बस्तर
शा० महा०कन्या सागर ।
शा०महा० जेतवारा सतना
शा०महा० पाडुरना छिंदवाड़ा

2/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों से संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपरि के समय समक्ष अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।


4/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । एवं साथ छाया प्रतियों सत्यापित करना होगा । सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा ।

5/ नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 18 अप्रैल, 94 तक पदस्थापना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा । शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों/निर्वाहों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के लिए

// 11 //

सर्वोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,



॥ श्री रालाल त्रिवेदी ॥
उप सचिव,

महोपासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क० एफ-1/137/93/ए-1/38 §अग्निजी § भोपाल, दिनांक 18 मार्च, 94

प्रतिलिपि-

1. सचिव, महोपासन लोक सेवा आयोग इंदौर महोपासन ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा महोपासन भोपाल ।
3. महालेखाकार, महोपासन ग्वालियर ।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा महोपासन ।
5. संबंधित प्राचार्य, शाओमहटो महोपासन ।
6. संबंधित गण ।


उप सचिव,

महोपासन, उच्च शिक्षा विभाग

नागवंशी /.....

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
संज्ञात्मक, प्रशासनिक, शोध

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक २५/०५/२०२४

क्रमांक एफ-1/111/93/ए-1/38-१ अर्थात् अर्थात् अध्यापक/अध्यापिका के पद पर केवलमान ज्ञान
निम्नलिखित उम्मीदवारों को उदात्त प्राध्यापक/अध्यापिका के पद पर केवलमान ज्ञान
2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के साथ उदात्त महाविद्यालय में अस्थाई रूप से
उनके कार्यभार अहमदाबाद के विभाग में नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	नाम एवं वर्तमान पता	महा० महा० पदस्थ किया जाता है
104.	डॉ० सविता जार द्वारा श्री किशोरीलाल जार, सहायक प्राध्यापक आवासीय, कैम्पस - 483501.	शास० महा० विहीरा ॥ जबलपुर ॥
105.	श्री श्रीलाल गुप्ता, द्वारा - गुप्ता फ्लोर बिल्डिंग, टीला जवाहरपुरा वैरसिया रोड भोपाल	शास० महा० जीरापुर ॥ राजगढ़ ॥
106.	डॉ० संगीता उपाध्याय ॥ आवासीय ॥ स० प्रा० ॥ 172, रेडियो कानोनी इन्दौर स० प्रा० पिन. नं. 452001.	शास० कला/वाणिज्य महा० इन्दौर (यथावत)
107.	श्री बालकृष्ण साहू, सहायक प्राध्यापक आवासीय शास० अरविन्द महा० किरन्दूल ॥ बस्तर ॥	शास० अरविन्द महा० किरन्दूल ॥ बस्तर ॥ (यथावत)
108.	श्री नरेन्द्र सिंह विस्त द्वारा - श्री रामनाथ सिंह, वर्तमान, सी-117/3 रेक्टर-स महानगर लखनौ ॥ उ० प्रा० ॥	शास० महा० आरौन ॥ गुना ॥
109.	श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, सुश्री भवन, रामलीला मंदिर रटा ॥ उ० प्रा० ॥	शास० महा० पौरसा ॥ अम्बाह ॥
110.	श्री हितेश कुमार जोशी, क्याटर नं० ओ. वन, धेरक, वि. वि. परिसर धेरक, पिन. नं. 450001.	शास० महा० सबलगढ़ ॥ सुरेना ॥

... 2

Dept. of Ecology,
Govt. College, Kharsla

- 134. डा. महेशा श्रीवास्तव
दसोगा पारा, पाहवा कालोनी
मु. / जिला-रायगढ़ ४०५००४
- 135. श्री कनक राय एम. वि.
"कृष्णा" पेरुन्ताटल पि०ओ०
तकरशोरि कंप्पूर जिला केरल
670107
- 136. श्रीमती सुलोचना छाजेड
आपाती तहायक प्राध्यापक
139, जनता हर्षवर्धन नगर, धोपाल
- 137. श्री राजीव सिंह चौहान
329, तानोतन नगर, ग्वा लियर
474001
- 138. कु. ज्योति आचार्य
73, अंग्रेजिन नगर, शेरोडूम रोड इन्दौर
म०प्र० 452005
- 139. श्री निखिल जोशी
द्वारा डा. महेशा जोशी,
50, सिथिन हास्पिटल कम्पाउन्ड
क्वार्टर, आगरा रोड, उज्जैन, म०प्र०
456001
- 140. श्री सर्वप्रिय शर्मा
आपाती तहायक प्राध्यापक
द्वारा श्री एम. पी. शर्मा, तहा.
प्राध्यापक अर्थशास्त्र शा. सह उलिका
- 141. श्री अरविन्द कुमार-श्रीवास्तव
द्वारा श्री वी. पी. एन. सिन्हा
64 बी/6, न्यू अलोपी बांग,
झुलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211006
- 142. श्री निशुकान्त तिमारी
श्रीया तालाब के पास, जांजगीर
जिला-खिलासपुर, 495668
- 144. श्रीमती जरीना लोदीवाला सिफ्ती
आपाती तहायक प्राध्यापक
106, जयप्रकाश रोड, देवास
- 145. श्रीमती मन्जूलता पाठक
आपाती तहायक प्राध्यापक
शारदा निकेतन, निशान डाई-स्कूल के
पीछे, महाराण प्रताप वार्ड, सिवनी
480661
- 146. तमारी निशा मिश्रा
द्वारा श्री जी. एल. मिश्रा पूर्व बैज्ञानिक
क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान कालोनी
कादर नं. जी-1, वीकमगढ़ म०प्र०

शा. महावि. कसडोल
रायपुर

शा. महावि. पेण्ड्रा
खिलसपुर

शा. महावि. ओबेदुल्लागंज
रायसेन

शा. स्नातकोत्तर महा.
सुरैना

शा. महावि. शाजापुर

शा. महावि. दिण्डोरी
मण्डला

शा. महावि. दतिया

शा. महावि. बेदन
सिधी

शा. महावि. वारासिवनी
बालाघाट

शा. महावि. कुक्षी धार

शा. स्नातकोत्तर महावि.
सिवनी

शा. कन्या महावि. बैतूल

(Handwritten signature)
Head
Dept. of Zoology,
Govt. College, Kharisla.

147. श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर
51, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर
452001
शा. महा वि. तिरंजो ज्ञ विद्विषा
148. कुमारी सीमा शर्मा
द्वारा श्री सिधिलेश शुक्ला,
बृहस्पति पारा, राजनांदगांव
491441
शा. महा वि. खोरागढ
ज्ञ राजनांदगांव
149. श्री शरब खान
द्वारा श्री. आइ. ए. खान
1197, एन. 2जी. सेक्टर,
गोविन्दपुरा, बी. एच. ई. एल. भोपाल ।
शा. महा वि. सिवनी मालवा
ज्ञ खोशंगाबाद
150. श्री सुदीप गुप्ता
द्वारा प्रो. आर. सी. गुप्ता,
शह-आरामशान के पीछे, नेहरू
नगर, वर्ध के सामने, गांधीनगर, नेहरू नगर,
बिलासपुर, - 495001
शा. महा वि. धुमका
ज्ञ रायपुर


✓ 2/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा ज्ञ महाविद्यालयीन शाखा ज्ञ भारती नियम 1990 के नियम-22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परीवीक्षा पर रहेगी ।

3. नियुक्त प्रत्यागती को ज्ञ गवित्कालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

4. नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/बिहलांग के प्रत्यागियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्यागियों को उपस्थिति के समय शैक्षणिक अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

5. इन अधिकारियों के सेवा संबंधी सुद्वे शासकीय सेवाओं को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों प्रो 50 सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 एवं प्रो 50 शैक्षणिक सेवा ज्ञ महाविद्यालयीन शाखा ज्ञ भारती नियम 1990 के अध्याधीन रहेगी ।

6. पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही छाया प्रतियां तत्प्रापित करना होगा तत्प्रापन के पश्चात् मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जायेगा ।


Head
Dept. of Zoology,
Govt. College, Khajuraho